

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(13)राज/वाद/17

जयपुर, दिनांक २५-११-२०२२

श्री मनीष कुमार गुप्ता, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, जयपुर महानगर प्रथम एवं
श्री महेश कुमार सैनी, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं07, जयपुर महानगर प्रथम

विषयः—

आरणी0ए जयपुर में दिनांक 26.11.22 से 28.11.22 तक "Cyber Crime Awareness Course for Judicial Officers, Public Prosecutor" विषय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण के लिए मनोनयन के संबंध में।

सन्दर्भः—

अति० महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक प.11(20)
प्रशि/सीसीपीडब्ल्यूसी/पार्ट-१/2020/14571 दिनांक 13.10.22 एवं 15306 दिनांक
14.11.22

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा अति० महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर ने "Cyber Crime Awareness Course for Public Prosecutor and Judicial Officers" विषय पर राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 26.11.22 से 28.11.22 को 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया है।

इस विभाग के पत्र दिनांक 04.11.22 द्वारा उक्त 03 दिवसीय प्रशिक्षण में 12 विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को मनोनीत करते हुये भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त पत्र दिनांक 04.11.22 के क्र०सं0 03 पर वर्णित श्री ललित कुमार शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं03, कोटा के स्थान पर श्री मनीष कुमार गुप्ता(मोबाइल नं० 9950456262), अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, जयपुर महानगर प्रथम एवं क्र०सं० 12 पर वर्णित श्री मोहम्मद सलीम, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, कोटा के स्थान पर श्री महेश कुमार सैनी(मोबाइल नं० 9460188345), अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं07, जयपुर महानगर प्रथम को मनोनीत करते हुये उक्त 03 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निर्देशित किया जाता है कि अपने साथ सिविल औपचारिक वेशभूषा के साथ दिनांक 25.11.22 सांयकाल तक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आवश्यक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(हिमाकनी गौड)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अति० महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण, राजस्थान जयपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
2. श्री ललित कुमार शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं03, कोटा।
3. श्री मोहम्मद सलीम, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, कोटा।
4. संबंधित न्यायालय।

5/ प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(हिमाकनी गौड)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण